

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सम्भल।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2013

विषय वर्ष 2013 में जनपद सम्भल में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की पुनर्स्थापना/विशेष मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1555/-आ०ले०/2013-14, दिनांक 23-11-2013 का कृपया सन्दर्भ यहां करें जिसमें जिला आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित गंगा नदी में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त लो०नि०विभाग, प्रा० ख० के कुल 23 कार्यों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु रु० 777.66 लाख की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लो०नि०विभाग के रु० 50.00 लाख से अधिक लागत के 05 कार्यों एवं रु० 10.00 लाख से कम लागत के 01 कार्य को छोड़ते हुये शेष 17 कार्यों की कुल लागत रु० 446.78 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत कुल धनराशि रु० 2,23,39,000/- (रुपये दो करोड़ तैंड़िस लाख उन्तालीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्णनों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	मांगी गयी धनराशि (लाख रु० में)	रवीकृत धनराशि (लाख रु० में)
1	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त रघूपुर पुख्ता सम्पर्क मार्ग का एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.800	25.51	12.755
2	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त चितवारा से मेगरा सम्पर्क मार्ग का एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	2.00	29.56	14.78
3	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त नहरीली सम्पर्क मार्ग का एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.700	18.02	9.01
4	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मेगरा मार्ग से सालिंग की मढ़ैया सम्पर्क मार्ग का एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.900	14.98	7.49

5	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हरीपुर मिलक सम्पर्क मार्ग का एस0आर0एम0डी0 के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.700	17.42	8.71
6	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हरीपुर से बीटा सम्पर्क मार्ग का एस0आर0एम0डी0 के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	1.400	19.76	9.88
7	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त काशीपुर से मढ़कावली सम्पर्क मार्ग का एस0आर0एम0डी0 के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	3.000	42.94	21.47
8	बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त रामनगर साधूमणी सम्पर्क मार्ग का एस0आर0एम0डी0 के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.800	19.99	9.995
9	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत आगरा मुरादाबाद मार्ग से गंगावास सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	2.700	37.51	18.755
10	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत बबराला राजधान मार्ग से फरीदपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	1.200	22.38	11.19
11	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत आगरा मुरादाबाद मार्ग से फतेहपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	1.000	18.75	9.375
12	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत बबराला रेलवे कासिंग से बाधऊ खेड़ा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	2.200	49.24	24.62
13	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत कैथल से बुझनगर खंडुआ सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	4.500	45.48	22.74
14	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत मुरादाबाद-आगरा मार्ग से मानकपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	1.350	13.44	6.72
15	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत सम्मल-जोया मार्ग (किमी0 12, 13, 14 एवं 15) की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	3.000	19.70	9.85
16	आपदा राहत निधि 2013-14 के अन्तर्गत सम्मल-जोया मार्ग से राया बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	2.000	19.99	9.995
17	जनपद सम्मल में दैरी आपदा राहत निधि के अन्तर्गत गवां अनूपशहर अन्य जिला मार्ग मौलनपुर गाँव से हरिदाबा मन्दिर होते हुए बांध तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।	2.800	32.11	16.055
		446.78	223.39	

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षों के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-७८/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदयार

मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर भी फोड़ करदाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा भौतक तिथि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक ०४-०३-२०१३ में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक ३१ मार्च, २०१४ से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-३८४ (१)/१-१०-२०१३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 4- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्मल।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५।
- 10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आजादी से,
१०/११/१५

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।